



वक्फ संशोधन विधेयक, 2025: भारत में वक्फ का इतिहास

'वक्फ' को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है।¹

परिचय

भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई संशोधन हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकार दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है।

¹[https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Joint%20Committee%20on%20the%20Waqf%20\(संशोधन\)%20बिल,%202024/18_Joint_Committee_on_the_Waqf_\(संशोधन\)_Bill_2024_1.pdf?स्रोत=लोकसभाडॉक्स](https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Joint%20Committee%20on%20the%20Waqf%20(संशोधन)%20बिल,%202024/18_Joint_Committee_on_the_Waqf_(संशोधन)_Bill_2024_1.pdf?स्रोत=लोकसभाडॉक्स)

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकायों में शामिल हैं:

- ❖ केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) – अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो देश भर में वक्फ प्रशासन पर मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है। इसका वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन नीतिगत मामलों पर सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देता है।
- ❖ राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) – ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वक्फ अधिनियम के अनुसार उनके प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
- ❖ वक्फ ट्रिब्यूनल – वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय।

यह संरचित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है।

वर्षों से, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है।

भारत में वक्फ इतिहास का अवलोकन

भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया है:

- मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913:** इस अधिनियम ने मुसलमानों के अपने परिवारों और वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल हैं:
 - वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य।
 - तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ।
- मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923:** वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन में सुधार के लिए पेश किया गया।
- मुसलमान वक्फ विधिमान्य अधिनियम, 1930:** इसने 1913 के अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया, जिससे पारिवारिक वक्फ की कानूनी वैधता को बल मिला।
- वक्फ अधिनियम, 1954:** वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) की स्थापना की गई:
 - आजादी के बाद ही वक्फ को मजबूत किया गया है।
 - 1954 के वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया।
 - सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, एक वैधानिक निकाय 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।

- यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है जिन्हें वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 9 (1) के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।
5. **वक्फ अधिनियम, 1954 (1959, 1964, 1969 और 1984) में संशोधन:** इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में और सुधार करना था।
6. **वक्फ अधिनियम, 1995:** इस व्यापक अधिनियम ने वर्ष 1954 के अधिनियम और इसके संशोधनों को निरस्त कर दिया:
- वक्फ अधिनियम, 1995 को भारत में वक्फ संपत्तियों (धार्मिक बंदोबस्ती) के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
 - यह वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति और कार्यों के साथ-साथ मुतवल्ली के कर्तव्यों का भी प्रावधान करता है।
 - यह अधिनियम एक वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति और प्रतिबंधों का भी वर्णन करता है जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक सिविल कोर्ट के बदले कार्य करता है।
 - एक ट्रिब्यूनल का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा. कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही किसी भी सिविल कोर्ट के तहत नहीं होगी। इस प्रकार, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी सिविल कोर्ट से ऊपर बनाया गया ।
7. **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013** में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:
- तीन सदस्यीय वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन, जिसमें मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति शामिल है।
 - राज्य वक्फ बोर्डों में दो महिला सदस्यों को शामिल करना।
 - वक्फ संपत्तियों की बिक्री और उपहार पर प्रतिबंध, अलगाव की गुंजाइश को कम करना।

- वक्फ संपत्तियों के लिए लीज अवधि 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना, बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना।

8. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025, और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024

- प्रस्तावित विधेयक वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करने, मुकदमेबाजी को कम करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक विधायी प्रयास है।
- प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 की कमियों को दूर करना और 2013 (संशोधन) अधिनियम द्वारा पेश की गई विसंगतियों को दूर करना है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा योजनाएं

कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीवाई) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए), भारत सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ये दो योजनाएं राज्य वक्फ बोर्डों के स्वचालन और आधुनिकीकरण के लिए हैं।


- क्यूडब्ल्यूबीटीएस के अंतर्गत, वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटीकरण के लिए जनशक्ति की तैनाती और वक्फ बोर्डों के प्रशासन को बेहतर करने के लिए सीडब्ल्यूसी के माध्यम से राज्य वक्फ बोर्डों को सरकारी सहायता अनुदान (जीआईए) प्रदान किया जाता है।
- एसडब्ल्यूएसवीवाई के अंतर्गत, वक्फ संपत्तियों पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित करने के लिए वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थाओं को व्याज मुक्त ऋणों के आगे संवितरण के लिए केन्द्रीय वक्फ बोर्ड को अनुदान प्रदान किया जाता है।


- 2019-20 से 2023-24 तक क्यूडब्ल्यूबीटीएस और एसडब्ल्यूएसवीवाई के तहत क्रमशः 23.87 करोड़ रुपये और 7.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

भारत में वक्फ संपत्तियों का अवलोकन :

WAMSI पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया है कि वहां 8.72 लाख संपत्तियां हैं, जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग को कवर करती हैं। 8.72 लाख संपत्तियों में से 4.02 लाख उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हैं। शेष वक्फ संपत्तियों के लिए, स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज़ (डीड्स) WAMSI पोर्टल पर 9279 मामलों के लिए अपलोड किए गए हैं और केवल 1083 वक्फ डीड अपलोड किए गए हैं।

Waqf Estates	Immovable Properties	Movable Properties	Digitized Records
356,350	872,802	16,716	330,008





(14 मार्च, 2025 के अनुसार)

Source:

<https://wamsi.nic.in/wamsi/dashBoardAction.do;jsessionid=40F3DA0F79ED801CE30802EB0F326394?method=totalRegisteredProp>

सितंबर 2024 तक राज्यवार वक्फ संपत्तियों की संख्या और क्षेत्र का डेटा

Sr. No.	State Waqf Boards	Total No. of Properties	Total area in Acre
1	Andaman and Nicobar Waqf Board	151	178.09
2	Andhra Pradesh State Waqf Board	14685	78229.97
3	Assam Board of Waqfs	2654	6618.14
4	Bihar State (Shia) Waqf Board	1750	29009.52
5	Bihar State (Sunni) Waqf Board	6866	169344.82
6	Chandigarh Waqf Board	34	23.26

7	Chhattisgarh State Waqf Board	4230	12347.1
8	Dadra and Nagar Haveli Waqf Board	30	4.41
9	Delhi Waqf Board	1047	28.09
10	Gujarat State Waqf Board	39940	86438.95
11	Haryana Waqf Board	23267	36482.4
12	Himachal Pradesh Waqf Board	5343	8727.6
13	Jammu and Kashmir Auqaf Board	32533	350300.75
14	Jharkhand State (Sunni) Waqf Board	698	1084.76
15	Karnataka State Board of Auqaf	62830	596516.61
16	Kerala State Waqf Board	53282	36167.21
17	Lakshadweep State Waqf Board	896	143.81
18	Madhya Pradesh Waqf Board	33472	679072.39
19	Maharashtra State Board of Waqfs	36701	201105.17
20	Manipur State Waqf Board	991	10077.44
21	Meghalaya State Board of Waqfs	58	889.07
22	Odisha Board of Waqfs	10314	28714.65
23	Puducherry State Waqf Board	693	352.67
24	Punjab Waqf Board	75965	72867.89
25	Rajasthan Board of Muslim Waqfs	30895	509725.57
26	Tamil Nadu Waqf Board	66092	655003.2
27	Telangana State Waqf Board	45682	143305.89
28	Tripura Board of Waqfs	2814	1015.73
29	U.P. Shia Central Board of Waqfs	15386	20483
30	U.P. Sunni Central Board of Waqfs	217161	
31	Uttarakhand Waqf Board	5388	21.8
32	West Bengal Board of Waqfs	80480	82011.84
	Total	872328	3816291.788

निष्कर्ष

1913 से 2024 तक भारत में वक्फ कानून का विकास समाज के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विनियमन के साथ-साथ एक प्रभावी प्रशासन प्रणाली होने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश

डालता है। प्रत्येक विधायी सुधार ने वक्फ बंदोबस्ती के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समकालीन चुनौतियों का समाधान करने की मांग की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।